न्यायालयः—उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला—सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदिश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 18/2025 रा.वा.
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025/53
उनवान

1. श्री शिवसिंह पिता अनोपसिंह उर्फ ओनाडसिंह, राजपुत, उम्र बालिग, निवासी धोलागीरखेडा, तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर (राज०)।

—वादी

विरूद्ध

1. श्री नरपतसिंह पिता माधुसिंह राजपुत, उम्र बालिग
2. श्री भगवतसिंह पिता माधुसिंह राजपुत, उम्र बालिग
3. श्री शक्तिसिंह पिता माधुसिंह राजपुत, उम्र बालिग
4. श्री विक्रमसिंह पिता लालसिंह राजपुत, उम्र बालिग
5. श्री शिवसिंह पिता लालसिंह राजपुत, उम्र बालिग
   सभी निवासीयान धोलागीरखेडा, तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर (राज०)
6. भूमिधारी तहसीलदार /उप—पंजीयक अधिकारी झल्लारा जिला सलुम्बर (राज०)।

— प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
::निर्णय::

दिनांकः 11/03/2026

उपस्थितः— श्री दिनेश कुमार जैन अधिवक्ता —वादी
प्रतिवादी संख्या 1 से 5—एक पक्षीय
पेरोकार सरकार तहसीलदार झल्लारा।

वादी ने वाद धारा 88 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत खातेदारी अधिकारों की घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया। वादी के वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न है कि वादी के स्वगीय पिता ओनाडसिह उर्फ अनोप सिहं धाबाई पिता चतरसिह राजपुत ने दिनांक 12—06—1960 को पुर्व स्वामी लालसिंह, माधुसिह पिता जवान सिंह राजपुत से मौजा केनर, धोलागीरखेडा कि साबिक आराजी नम्बर 256 मीन में से साडे चार बिघा जमीन जरिये विक्रय पत्र के विक्रय कर दी थी, उक्त भुमि पर वादी के पिता दिनांक 12—06—1960 से अपने जीवन काल तक तथा उनके बाद वादी उक्त भुमि पर आज तक काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, वादी ने अपने पिता के पक्ष में लिखे गये विक्रय पत्र को कलेक्टर मुंद्राक उदयपुर से पंजीयन शुल्क जमा करा पंजीकृत करा लिया है। उक्त भुमि विक्रय पत्र अनुसार "आथमणी बाजू है माला कि मंगरी के पास है, उगमणी बाजू बापु माधुसिह जी के खेत बराडील्दा के पास, धराउ में खेत नामी छापरी के सेन्डा तक, लंकाउ में आम रास्ते तक उक्त इबारत अनुसार भुमि के पडौस पुर्व में माधुसिह के खेत, पश्चिम में माला कि मंगरी उत्तर में खेत नामी छापरी व दक्षिण में आम रास्ता स्थित है। उका पडौस अनुसार भुमि के साबिक आराजी नम्बर 256 मीन थे जिसके हाल आराजी

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

नम्बर 1005 रकबा 0.43 हेक्टर व आराजी नम्बर 1007 रकबा 0.38 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.81 हेक्टर बने है। उक्त भुमि मौके पर आज तक वादी बेरोकटोक काबिज होकर काश्त करता आ रहा है।

वादी अपने पिता के द्वारा भुमि क्रय करने कि दिनांक से पुरे जीवन काल से आज तक मौजा केनर पटवार मंडल धोलागीरखेडा तहसील झल्लारा के आराजी नम्बर 1005 रकबा 0.43 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 1007 रकबा 0.38 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.81 हेक्टर पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, वादी को उक्त भुमि का स्वामी घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में भुमि वादी के नाम घोषित कराने के लिये यह घोषणा का वाद पेश है।

वादी को भुमि अपने नाम पर नहीं होने कि जानकारी के बाद वादी ने प्रतिवादी को उक्त भुमि अपने नाम करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण आज कल कहकर टालते आ रहे है प्रतिवादीगण गाँव के मौतबीर एवं गणमान्य होकर ठाकुर साहब कि संताने है जिन पर वादी आज तक विश्वास करता बला आ रहा है। वादी के पिता ने उपरोक्त भुमि पुर्व स्वामी से क्रय कर आबाद पर काश्त करता चला आ रहा है। वादी अपनी मुमि पर काबिज है तथा वादी को अपनी भुमि से कोई बेदखल न कर दे तथा शान्तिपुर्ण काश्त में दखलंदाजी नहीं करे इसलिये यह स्थाई निषेधाज्ञा का वाद भी पेश है।

वादी द्वारा अभी हाल दिनांक 12–03–2025 को प्रतिवादीगण को भुमि वादी के नाम कराने के लिये कहा तो उनका जवाब ढुलमुल था, तथा उनके जवाब से यह प्रतित हो रहा था कि उनके मन में बदनियती आ चुकि है इसलिये मजबुरन वादी को यह वाद पेश करना पड रहा है, जो अन्दर अवधि है। भुमिधारी तहसीलदार साहब आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी बनाये गये है उनके विरूद्ध कोई दाद नहीं चाहीये। अतः प्रार्थना है कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय का निर्णय व डिक्री जारी की जावे –

(क) यह कि मौजा केनर पटवार मंडल घोलागीरखेडा तहसील झल्लारा के आराजी नम्बर 1005 रकबा 0.43 हैक्टेयर व आराजी नम्बर 1007 रकबा 0.38 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.81 हैक्टेयर भुमि का वादी को एक मात्र स्वामी/मालिक घोषित कर भुमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज कि जावे।

(ख) यह कि प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि मौजा केनर पटवार मंडल धोलागीरखेडा तहसील झल्लारा के आराजी नम्बर 1005 रकबा 0.43 हेक्टेयर व आराजी नम्बर 1007 रकबा 0.38 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.81 हेक्टेयर भूमि से वादी को कोई बेदखल न करे तथा शान्तिपुर्ण काश्त में दखलंदाजी नहीं करे और उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण करे और न ही उक्त अपने नौकरो, परिजनो इत्यादी से करावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 बावजुद सूचना के न्यायालय मे गैर हाजिर रहने से उनके खिलाफ आदेशिका दिनांक 09–07–2025 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 न तो न्यायालय मे हाजिर आये न ही कोई जवाब पेश नही किया इसलिये प्रकरण मे तनकीयात कायम नही की गई। वादी स्वयं अपने वाद को साबित करने के लिये बतौर गवाह पी.डब्ल्यु. 1 पेश हुआ एवं दस्तावेज प्रदर्श 1ए विक्रय पत्र की प्रति, प्रदर्श 2 जमाबंदी की नकल, प्रदर्श 3 मिला क्षैत्रफल, प्रदर्श 4 नई जमाबंदी खाता संख्या 123 की प्रति, प्रदर्श 5 जमाबंदी खाता संख्या 124 की प्रति, प्रर्दश 6 मौका पर्चा रिपोर्ट पेश किये। तथा अन्य

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

गवाह पी.डब्ल्यु. 2 वेनीचंद पिता पुंजालाल जैन, पी.डब्ल्यु. 3 रायालाल पिता कचरा मीणा के शपथ पत्र पेश किये एवं बयान दर्ज कराये।

पत्रावली मे वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

वादीगण ने बहस मे अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि मौजा केनर, पटवार मंडल धोलागीरखेडा, तहसील झल्लारा स्थित आराजी नम्बर 1005 रकबा 0.43 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1007 रकबा 0.38 हेक्टेयर, कुल रकबा 0.81 हेक्टेयर भूमि वादी के पिता द्वारा दिनांक 12.06.1960 को विधिवत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई थी। तथा उनके पश्चात वादी स्वयं निरंतर, शांतिपूर्ण एवं अबाध रूप से काबिज होकर काश्त करता आ रहा है। विक्रय पत्र पंजीकृत है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादी को वाद वर्णित भूमि का एक मात्र स्वामी/मालिक घोषित कर भुमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम दर्ज कि जावे। एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की प्रार्थना की गई।

बहस मनन की गई। तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।प्रस्तुत विक्रय पत्र प्रदर्श 1ए से यह सिद्ध होता है कि वादी के पिता ने दिनांक 12.06.1960 को वादग्रस्त भूमि विधिवत क्रय की थी। साक्ष्य से वाद वर्णित भूमि पर वादी का शांतिपूर्ण कब्जा काश्त होना जाहिर होता है। प्रतिवादीगण द्वारा कोई प्रतिवाद, साक्ष्य अथवा जिरह प्रस्तुत नहीं की गई। अतः वादी का कथन अप्रतिवादित एवं विश्वसनीय प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

–::आदेश::–

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 का स्वीकार किया जाकर मौजा केनर, पटवार मंडल धोलागीरखेडा, तहसील झल्लारा स्थित आराजी नम्बर 1005 रकबा 0.43 हैक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1007 रकबा 0.38 हैक्टेयर, कुल रकबा 0.81 हैक्टेयर भूमि का वादी श्री शिवसिंह को एकमात्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं वादी के नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कीये जाने का आदेश दिया जाता है।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के शांतिपूर्ण काश्त की उक्त कृषि भूमि मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा अलग से तैयार किया जावे।

निर्णय दिनांक 11/03/2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी,
सलूम्बर
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री जगदिश चन्द्र बामनिया आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 18 / 2025 रा.वा.

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2025 / 53

उनवान

1. श्री शिवसिंह पिता अनोपसिंह उर्फ ओनाडसिंह, राजपुत, उम्र बालिग, निवासी धोलागीरखेडा, तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर (राज०)।

–वादी

विरूद्ध

1. श्री नरपतसिंह पिता माधुसिंह राजपुत, उम्र बालिग
2. श्री भगवतसिंह पिता माधुसिंह राजपुत, उम्र बालिग
3. श्री शक्तिसिंह पिता माधुसिंह राजपुत, उम्र बालिग
4. श्री विक्रमसिंह पिता लालसिंह राजपुत, उम्र बालिग
5. श्री शिवसिंह पिता लालसिंह राजपुत, उम्र बालिग

   सभी निवासीयान धोलागीरखेडा, तहसील झल्लारा जिला सलुम्बर (राज०)।
6. भूमिधारी तहसीलदार साहब / उप–पंजीयक अधिकारी झल्लारा जिला सलुम्बर (राज०)

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा–88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

डिक्री दिनांकः11–03–2026

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से एडवोकेट श्री दिनेश कुमार जैन एवं प्रतिवादीगण की एक पक्षीय उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 11–03–2026 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं कि मौजा केनर, पटवार मंडल धोलागीरखेडा, तहसील झल्लारा स्थित आराजी नम्बर 1005 रकबा 0.43 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 1007 रकबा 0.38 हेक्टेयर, कुल रकबा 0.81 हेक्टेयर भूमि का वादी श्री शिवसिंह को एकमात्र स्वामी घोषित किया जाता है एवं वादी के नाम हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कीये जाने का आदेश दिया जाता है।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के शांतिपूर्ण काश्त की उक्त कृषि भूमि मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करें।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना–अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक **11–03–2026** को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(जगदीश चन्द्र बामनिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
सलूम्बर

सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	01	—	शक्ति—पत्र के लिए स्टाम्प	01	—
2. शक्ति—पत्र के लिए स्टाम्प	01	—	अर्जी के लिए स्टाम्प	—	—
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	01	—	प्लीडर की फीस	—	—
4. रूपये पर लीडर की फीस	—	—	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	—	—	आदेशिका की तामील	—	—
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	02	—	कमिश्नर की फीस	—	—
7. आदेशिका की तामील	—	—		—	—
योग	05	—	योग	01	—

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

सहायक कलेक्टर सलूम्बर
सलूम्बर जिला-सलूम्बर (राज.)